


AN APPEAL

आओ ले चलें 
बच्चों को भिक्षा से
शिक्षा की ओर

प्रयास हमारा

सहयोग तुम्हारा

जब भी किसी बच्चे को सड़क पर भीख मांगते या सामान बेचते हुए देखें तो
कृपया निम्नलिखित नंबरों में से किसी एक पर सूचना दें:-

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. चंडीगढ़ पुलिस | 112 |
| 2. बाल हेल्पलाइन | 1098 |
| 3. ट्रैफिक हेल्पलाइन | 1073 |
| 4. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट | 0172-2704100 |

नोट: भीख मांगने के लिए बच्चे का उपयोग किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 लाख रुपये का जुर्माना एवं 5 साल तक का कारावास भी शामिल है।



UNION TERRITORY CHILD PROTECTION SOCIETY (UTCPS)

Under the aegis of Department of Social Welfare, Women & Child Development, Chandigarh Administration

Sector-19 B, Chandigarh, Phone No.- 0172-2548000, Email- utcpschandigarh@gmail.com



UTCPS